नकल आदेश दिनॉक 19-3-14 वाद संख्या 366/13-14 अन्तर्गत धारा 176 जे०ए० एण्ड एल० आर० एक्ट श्री हरि कृष्ण म्यादिव जी एजूकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डेवलपमेन्ट एसोशिएट ट्रस्ट बनाम पप्पू आदि ग्राम धावनी हसनपुर तहसील बिलासपुर न्यायालय उप जिलाधिकारी बिलासपुर जनपद रामपुर (संलग्नक)

कैंसल्ड

कोर्ट फी
5 रु. Rs.5
FEE
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी
2 रु. Rs.2
COURT FEE
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
दो रुपये TWO RUPEES

कैंसल्ड

C.F.
2/7=00

Serial Number 400

Name of Applicant श्री आदिल कॉ. ए0

Date of Application 19-3-14

Value of Folio 02/7=00

Number of Words छायाप्रति

Date of Notice 20-3-14

Date of Delivery 20-3-14

Sig. of official delivering the copy 20.3.14

नकल

न्यायालय उप जिलाधिकारी बिलासपुर जनपद रामपुर ।

वाद संख्या 201413590 4366 अर्न्तगत धारा 176 जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
ग्राम धावनी हसनपुर तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर ।

(1)श्री गुरू हरिकृष्ण साहिब जी एजूकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डेवलपमेन्ट एसोशिएट (ट्रस्ट) माटखेडा रोड ,चीमा इण्टरप्राईजेज बिलासपुर जिला रामपुर द्वारा डा0 सन्तोख सिंह खालसा पुत्र श्री जागन सिंह निवासी बाजार कलॉ बिलासपुर जिला रामपुर (प्रबन्धक) व सिन्दर सिंह चीमा पुत्र स0 प्रीतम सिंह निवासी माटखेडा रोड तहसील बिलासपुर जिला रामपुर (अध्यक्ष) ....वादीगण

बनाम

(1)पप्पू (2) नन्हू (3) लालता प्रसाद (4) नन्हे पुत्रगण इन्दर सिंह (5) उरमान सिंह व(6) जगतपाल सिंह पुत्रगण किशन लाल निवासीगण धावनी हसनपुर तहसील बिलासपुर जिला रामपुर ।(7) ग्राम सभा ग्राम धावनी हसनपुर द्वारा ग्राम प्रधान धावनी हसनपुर तहसील बिलासपुर जिला रामपुर । ....प्रतिवादीगण

प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत वाद ग्राम धावनी हसनपुर की आराजी खाता संख्या 106 गाटा संख्या 177 रकबा 1.238 है0 लगान 61–20 रू0 के बटवारे के सम्बन्ध में वाद दायर किया गया । वाद दायर कर कहा गया यह कि वादी प्रतिवादी न01 से 6 के साथ वादग्रस्त आराजी संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में दर्ज खतौनी है व संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काबिज काश्त है ।यह कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी न01 से 6 का कुल अंश 0.7225 है0 है शेष वादीगण का 0.5155 है0 है ।उक्त आराजी वादीगण ने जरिये बयनामा कय की है तथा प्रतिवादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है । खाता शामिल होने के कारण वादी अपने अंश का पूर्ण लाभ नही उठा पाता है ,और खाता शामिल होने के कारण वादीगण को लगान व अपाशी जमा करने में परेशानी होती है यह कि वादी ने अनेको बार प्रतिवादीगण 1 से 6 से खाता तकसीम कराने को कहा लेकिन वह सुनवा नही हुए दिनॉक 30–1–2014 को खाता तकसीम कराने से साफ इनकार कर दिया तो वाद का कारण उत्पन्न हुआ । अन्त में कहा कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 0.5155 है0 अंश घोषित किया जाये और खाता अलग कायम फरमाया जाये ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत किये गये । प्रतिवादी न0 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब में शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का 0.5155 है0 अंश है शेष रकबा 0.7225 है0 प्रतिवादीगण का है खाता अलग कायम होने पर उनको कोई आपत्ति नही है ।

वादी कें विद्ववान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन किया उध्दरण खतौनी व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 0.5155 है0 अंश है जो जरिये बयनामा कय किया गया है जिसपर प्रतिवादीगण सहमत भी है और किसी को कोई आपत्ति नही है । अतः तदनुसार वादी का ग्राम धावनी हसनपुर की आराजी खाता संख्या 106 गाटा संख्या 177 रकबा 1.238 है0 में 0.5155 है0 एवं प्रतिवादीगण का 0.7225 है0 अंश घोषित किया जाता है। प्रारम्भिक डिकी तैयार की जाये । बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

19/3/2014

दिनॉक :– मार्च 19 ,2014

(विनय कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी बिलासपुर ।

आज यह आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनॉकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

19/3/2014

(विनय कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी बिलासपुर ।

सत्य प्रतिलिपि

20.3.14

अहलमद
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
बिलासपुर